


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 1846/2014.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान- मैसर्स चेतक मिनरल्स उदयपुर बनाम 1. अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), उदयपुर 2. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2017	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदनलाल मालवीय-सदस्य</p> <p>अपीलार्थी वकील का विद्वान प्रार्थना पत्र प्राप्त एवं प्रत्यर्थी विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 1846/2014/उदयपुर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (मदनलाल मालवीय) सदस्य </p>	